

- 1- समस्त जोनल एडिशनल कमिशनर, उ0प्र0
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(वि0अनु0शा0/प्र0)उ0प्र0
- 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक / अपील / उ0 न्या0कार्य/ सर्वो0न्या0 कार्य0) उ0प्र0
- 4- समस्त डिप्टी कमिशनर ,उ0प्र0
- 5- समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर, उ0प्र0
- 6- समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उ0प्र0

विषय-प्रदेश में कार्यरत जॉच चौकियों की संख्या / कार्यप्रणाली में परिवर्तन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-ज्वा0कमि0(चेकपोस्ट)मु0-जॉच चौकी / 08-09/740/वाणिज्य कर/ दिनांक 30-7-08 व परिपत्र संख्या ज्वा0कमि0-(चेकपोस्ट)मु0जॉच चौकी / 08-09054/वाणिज्य कर दिनांक 20-8-08 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 31-7-08/1-8-08 की मध्य रात्रि से पूर्व में कार्यरत 83 जॉच चौकियों में से 46 जॉच चौकियों पर संचालन कार्य बन्द करते हुए 37 जॉच चौकियों पर परिवर्तित कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य संचालित किये जाने के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

परिपत्र सं0 740 दिनांक 23-7-08 से व्यापारी द्वारा माल की डिलीवरी लेने के उपरान्त आयात घोषणा पत्र की मूल प्रतियाँ निम्न व्यवस्था के अनुसार संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में दाखिल किये जाने के संबंध में निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है :-

- 1- प्रान्तीय / केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों / उपक्रमों / कार्पोरेशन तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर इनसे संबंधित फार्म-38/39 की मूल प्रतियाँ, माल की डिलीवरी रिसीट, बिल्टी तथा बिल / चालान की स्वतः प्रमाणित छाया प्रतियों सहित संबंधित माह के रिटर्न के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में दाखिल करेंगे।
- 2- अन्य सभी व्यापारी प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर माल की डिलीवरी प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस में फार्म 38/ 39 की मूल प्रति, डिलीवरी रिसीट एवं बिल्टी तथा माल से संबंधित बिल / चालान की स्वतः प्रमाणित छाया प्रतियों सहित अपने कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
- 3- ऐसे व्यापारी जिनकी एक से अधिक शाखायें/ गोदाम हैं, शाखाओं / गोदाम के लिये प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर इनसे संबंधित फार्म-38 / 39 मूलप्रति तथा अन्य अभिलेख माल की डिलीवरी लेने के बाद अगले कार्य दिवस में उस कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में दाखिल करेंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में उनकी शाखा / गोदाम स्थित है। संबंधित कर निर्धारण अधिकारी ऐसे फार्म 38 / 39 को उनके संबंधित मूल कर निर्धारण अधिकारियों को शील्ड लिफाफों में प्रत्येक सोमवार को मुख्यालय आने वाले पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित करेंगे। प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी से संबंधित फार्मों के लिये अलग-अलग शील्ड लिफाफे प्रेषित किये जायेंगे तथा प्रत्येक लिफाफे में कितने फार्म 38 / 39 हैं, की संख्या सुस्पष्ट अंकित की जायेगी।

व्यापारिक संस्थानों द्वारा इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि माल की डिलीवरी लेने के उपरान्त फार्म 38 / 39 जमा करने की निर्धारित की गयी समय सीमा 24 घंटे के अन्दर होने से उन्हें काफी कठिनाइयाँ आ रही हैं। प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था। शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में हुयी बैठक में निम्न निर्णय लिया गया है :-

- 1- क्रम संख्या 1 पर अंकित प्रान्तीय / केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों / उपक्रमों / कार्पोरेशन तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज की व्यवस्था यथावत रहेगी।
- 2- क्रम संख्या 1 पर अंकित प्रान्तीय / केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों / उपक्रमों / कार्पोरेशन तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज को छोड़कर ऐसे व्यापारी जिनके व्यापार की अवधि एक वर्ष से पुरानी है उनके लिए प्रान्त बाहर से माल आयात

- किये जाने पर माल की डिलीवरी लिये जाने के बाद फार्म 38 / 39 की मूल प्रतियां सम्बन्धित कर निर्धारण कार्यालयों में जमा करने के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये :-

माल आयात करने की अवधि	माल की डिलीवरी लिये जाने के बाद कर निर्धारण कार्यालय में फार्म 38 / 39 की मूल प्रतियां / डिलीवरी रसीद / बिल्टी / माल से सम्बन्धित बिल / चालान की स्वतः प्रमाणित प्रतियों को जमा करने की तिथि
माह की 01 तारीख से 07 तारीख तक माल की डिलीवरी लेने पर	माह की 09 तारीख तक
माह की 08 तारीख से 15 तारीख तक माल की डिलीवरी लेने पर	माह की 17 तारीख तक
माह की 16 तारीख से 23 तारीख तक माल की डिलीवरी लेने पर	माह की 25 तारीख तक
माह की 24 तारीख से अंतिम तारीख तक माल की डिलीवरी लेने पर	अनुवर्ती माह की 03 तारीख तक

- 3- ऐसे व्यापारी जिनके व्यापार की अवधि एक वर्ष से कम है, वे पूर्व की भांति प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर माल की डिलीवरी प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस में फार्म 38/39 की मूल प्रति, डिलीवरी रसीद एवं बिल्टी तथा माल से सम्बन्धित बिल / चालान की स्वतः प्रमाणित छायाप्रतियों सहित अपने कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

- 4- ऐसे व्यापारी जिनकी एक से अधिक शाखायें/ गोदाम हैं, शाखाओं / गोदाम के लिये प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर इनसे संबंधित फार्म-38 / 39 मूलप्रति तथा अन्य अधिलेख माल की डिलीवरी लेने के बाद उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में उस कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में उनकी शाखा / गोदाम स्थित है।

- 5- फार्म 38 / 39 की मूल प्रतियां जमा करने के साथ-साथ व्यापारियों द्वारा निम्न प्रारूप में विवरण पत्र भी दाखिल कराया जाये :-

क्रम संख्या	फार्म 38/39 की संख्या	वस्तु का नाम	माल की डिलीवरी प्राप्त करने की तिथि	वस्तु का मूल्य
1	2	3	4	5
योग				

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें तथा इस व्यवस्था से अपने क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक/ अधिवक्ता संगठनों को अवगत कराते हुये इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

(दीपक कुमार)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
30प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष / निबन्धन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर 30प्र0।

- 4- अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- 6- महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,लखनऊ ।
- 8- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 9- सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद ।
- 10- विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा ।
- 11- मैअनुल / सूचना केन्द्र/ नई इकाई / वैट अनुभाग / चेकपोस्ट मुख्यालय को क्रमशः 5/5/5/10/50 प्रतियाँ अतिरिक्त
- 12- समस्त अनुभाग / अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 13- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ ।
- 14- अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ ।
- 15- श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल,87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर ।
- 16- श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- 17- श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ ।
- 18- मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर ।
- 19- एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्ड0 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
- 20- पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रेड,लखनऊ ।
- 21- अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ ।
- 22- आल इंडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद ।
- 23- कनेक्डरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
- 24- राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से
- 25- उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- 26- शिव कुमार रोडा,एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर
- 27- श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद ।
- 28- श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद ।
- 29- श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर ।
- 30- प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- 31- प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
- 32- श्री बी0 एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी , सिगरा, वाराणसी ।
- 33- श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी ।
- 34- श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर ।
- 35- श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
- 36- श्री पी0 एस0 जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोएडा ।
- 37- श्री ब्रित चावला, महासचिव(पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 टूक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि0), पुलवाल मंडी , सहारनपुर ।
- 38- श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- 39- श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
- 40- इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।

- 41- संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
- 42- टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशियल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा।
- 43- श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी, उद्योग नगर, कानपुर
- 44- श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 45- श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।
- 46- श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
- 47- श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ।
- 48- माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
- 49- श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
- 50- श्री दिनेश चन्द्र माल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0 रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
- 51- अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ 226010 फोननं0 2720097।
- 52- वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ।
- 53- वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।
- 54- चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त।

(वी0 पी0 श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।